न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 53/2023

तारीख रजू :– 04.07.2023

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

उनवान

1 विजय पुत्र हरिनारायण
2 दिनेश पुत्र राधेश्याम
3 प्रहलाद पुत्र रघुवीर शरण

} जाति महाजन निवासी बालघाट तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

4 शिम्भूदयाल पुत्र विरदीचंद जाति महाजन निवासी बालघाट तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0 हाल निवासी एच0 23 मधुवन कालोनी किसान मार्ग वरकत नगर जयपुर राज0 302015

5 सतीशचंद पुत्र राधेश्याम जाति महाजन निवासी बालघाट तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0 हाल निवासी यशोदरा 71 तरुछाया नगर सीतावाडी टोंक रोड जयपुर राज0 302029

6 इन्द्रा देवी पुत्री राधेश्याम पत्नि दिनेश मोदी जाति महाजन 81 तरुछाया नगर नियर कमानी फोर्म टोंक रोड जयपुर राज0 302029

सायलान

बनाम

1 नायब तहसीलदार बालघाट तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

2 तहसीलदार टोडाभीम तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

3 ग्राम पंचायत बालघाट जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बालघाट पं.स. टोडाभीम जिला करौली राज0।

4 विकास अधिकारी, पं.स. टोडाभीम, जिला करौली राज0।

5 राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालघाट जरिए अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालघाट तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट वादीगण

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

निर्णय दिनांक– 25-06-2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 के बुर्जुगान की खातेदारी व कब्जे काश्त की साविक आराजी ख.नं. 345/2 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा ग्राम बालघाट तह. टोडाभीम जिला करौली में स्थित थी जिस पर पूर्व में सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 के बुर्जुगान काबिज एवम दखील थे तथा उनके पास विरासत से सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 को मिली है तथा सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। साविक आराजी ख0नं0 345/2 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा ग्राम बालघाट तह. टोडाभीम जिला करौली से भू प्रबध विभाग के कर्मचारियो द्वारा दौराने भू प्रबंध मौजूदा ख0नं0 526 रकबा 0.35 है0 तरमीम करके अंकित किया है सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 की खातेदारी साविक आराजी ख.नं. 345/2 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा से नवीन रकवा 0.40 है0 होना चाहिए था इस प्रकार भू प्रबध विभाग द्वारा सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 की खातेदारी का रकवा 0.05 है0 कम कर दिया है भू प्रबध विभाग को सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 की खातेदारी रकबा कम करने का कोई अधिकार किसी भी प्रकार का नही है। इस प्रकार भू प्रबध विभाग द्वारा नवीन रिकोर्ड गलत बनाया है जिसे सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 दुरुस्त कराने के हकदार है साविक आराजी ख.नं. 345/1 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा ग्राम बालघाट तह. टोडाभीम जिला करौली में स्थित है जो राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नाम है साविक आराजी ख.नं. 345/1 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा ग्राम बालघाट तह. टोडाभीम जिला करौली से भू प्रबध विभाग के कर्मचारियो द्वारा दौराने भू प्रबंध मौजूदा ख0नं0 527 रकबा 0.50 है0 खं0 नं0 526/1447/0.12 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.62 है0 तरमीम करके अंकित किये है जबकि उक्त रकवा 0.60 है0 होना चाहिये था राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आवंटित भूमि पर स्वास्थ्य केन्द्र 50 साल पूर्व का बना हुआ है तथा राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बाउन्डी बाल हो रही है तथा सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 ल[illegible] की भूमि 519 520 521 524 525 में मिला दिया है उक्त खसरा नम्वरान [illegible]वा 0.25 है0 कर दिया है जबकि उक्त खसरा नम्वरान का सावि[illegible] से बनाये है इस प्रकार 3 ऐयर रकवा वढा कर अंकित कर दिया है इस प्रकार मौजूदा खं0 नम्वरान 519 520 521 524 525 में कुल रकवा 0:25 में सें रकवा मे से 3 ऐयर भूमि तथा ख0नं0 527 रकबा 0.50 है0 में से 2 ऐयर भूमि कम की जाकर नवीन नं0 526/1 रकवा 0.05

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:28 IST
Reason: SelfAttested

अंकित कर सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 की खातेदारी में अंकित किया जाना न्याय संगत है मौजूदा ख0नं0 526 रकबा 0.35 है0 ग्राम बालघाट तह. टोडाभीम जिला करौली राज0 को सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 द्वारा दीगर व्यक्तियो को बेचान कर विक्रय पत्र पंजीबद्व करवा दिया है तथा शेष रकवा 0.05 है0 सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 का काबिज एवम दखील है लेकिन रेवेन्यू रिकोर्ड में नाम नही रहने के कारण गैरसायलान सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 का हैरान परेशान करते रहते है तथा गैरसायलान न 3 सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 का अपने काबिज स्थान से बेदखल कर कब्जा करने की फिराक में रहतें तथा आये दिन तरह तरह से धमकी देते रहते है सायलान को पटवारी हल्का से उक्त गलती का पता चलने पर समस्त साबिक रिकार्ड लेने पर मिलान देखने पर उक्त भूमि में रकवा कम होने का होने का पता चला इस पर सायलान दिनांक 18.05.2023 को गैरसायलान नं0 1 व 2 से उनके कार्यालय में मिले तथा साबिक रिकोर्ड के मुताबिक नवीन रिकोर्ड में दुरूस्ती करने तथा 0.05 है0 की खातेदारी सायलान एवम दावे के प्रतिवादीगण नं 7 लगायत 16 करने का निवेदन किया तो उन्होने साफ इंकार कर दिया कहां कि हम रिकार्ड में दुरूस्त नही करेगे सक्षम न्यायालय से आदेश कराओ नही तो हम तुमको बेदखल कर देगें इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तथा सायलान को अपनी कब्जे शुदा आराजी से वेदखल कर दिया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी सायलान का प्राईमा फेसी केश सायलान के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी इसलिए गैरसायलान को पावंन्द फरमाया जावे

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं किया है। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार की ओर लिखत जबाव प्रस्तुत किया। जो शमिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:28 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार ने जबाव प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम बालघाट के साबिक खसरा नं0 345/2 रकवा 01 बीघा 12 विस्वा भूमि जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 526 रकबा 0.35 है0 बना है सायलान नम्बर 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि थी। मुताबिक साबिक 5 ऐयर भूमि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कम कर दी गई तथा साबिक खसरा नम्बर 346 रकवा 158 विस्वा भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 519 रकवा 0.04 है0, 520 रकवा 0.12 है0 , 521 रकवा 0.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

02 है0, 524 रकवा 0.03 है0, 525 रकवा 0.04 है0 कुल किता 5 रकवा 0.025 है0 बने है। साबिक खसरा नम्बर के मुताबिक 3 ऐयर भूमि ज्यादा कर दी गई। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरान सायल/प्रतिवादीगण के 5 ऐयर में से 3 ऐयर भूमि कम करने पर खसरा नम्बर 526 में 2 ऐयर भूमि की कमी वर्तमान में रहती है। साबिक खसरा नम्बर 2 बीघा 9 विस्वा गैरसायल नम्बर 6 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बालघाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसका नवीन खसरा नम्बर 527 रकवा 0.50 है0, 526/1647 रकवा 0. 12 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.62 है0 बनाया गया है। जो कि गत रकवे के अनुसार 0.61 है0 भूमि होनी चाहिये थी, भू प्रबन्धक विभाग द्वारा 1 ऐयर भूमि अधिक दर्ज कर दी गई है। खसरा नम्बर 526 के रकबे बरारी करने पर भी 0.04 है0 भूमि कम पडती है एवं खसरा नम्बर 527, 526/1647 की रकवा बरारी करने पर 4 ऐयर भूमि अधिक होती है। ग्राम बालघाट के खसरा नम्बर 526 रकवा 0.35 है0 का विक्रय होने से एवं बंटवारा होने से वर्तमान में खसरा नम्बर 1788/526 रकवा 0.24 है0 एवं श्रीमति कविता मीना पत्नि हेमन्त मीना के नाम तथा खसरा नम्बर 1789/526 रकवा 0.11 है0 में राजकुमारी पत्नि मनोज कुमार महाजन के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में खसरा नम्बर 526 व 527 तथा 526/1647 का साबिक व हाल नक्शा शीट का मिलान व रकवा बरारी करने पर खसरा नम्बर 526 रकवा 0.12 है0 में से 0.04 है0 भूमि कम कर सायलान को दिया जाना उचित है। अतः नक्शा ट्रेस में 1 ऐयर भूमि को सुरख लाल स्याही से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 526 की तरमीम दुरूस्ती एवं खसरा नम्बर 526/1647 में 1 ऐयर भूमि कम कर तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित होना अंकित है।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम बालघाट के साबिक आराजी खसरा नम्बर 345/2 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा भूमि सालयान एवं दावे के प्रतिवादीगण नं0 7 लगायत 16 के बुर्जुगान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। वर्तमान जमावन्दी में सभी खसरा नम्बरान आपसी बंटवारे से पृथक–पृथक हो चुके है। पत्रावली का निर्धारण मूल दावा में दस्तावेज/साक्ष्य के आधार गुणावगुण के आधार पर तय होना है। अप्रार्थी [illegible] के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायहित में [illegible] है। इसमें अत्यावश्यकता अनिवार्यता जैसे बिन्दु [illegible] प्रकार प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रकरण सालयान के [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:28 IST
Reason: SelfAttested

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष मे साबित नहीं होने से सुविधा का संतुलन सालयान के पक्ष मे साबित नहीं होता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात में सभी खसरा नम्बरान आपसी बंटवारे से पृथक–पृथक हो चुके है। अप्रार्थीगण राजकीय है। अतः वादी को अपूरणीय क्षति सिद्ध नहीं होती है।

आदेश

अतः वर्तमान जमाबन्दी में सभी खसरा नम्बरान आपसी बंटवारे से पृथक–पृथक हो चुके है। अप्रार्थीगण राजकीय है जिससे वादी को अपूरणीय क्षति सिद्ध नहीं होती है। अतः उक्त के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायहित में अनुचित है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25-06-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:51:28 IST
Reason: SelfAttested